न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

प्रकरण संख्या : 30 / 2021
रजिस्ट्रेशन नं. : 2021 / 46

प्रार्थी / अपीलार्थी :–

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री देवीलाल बुनकर पुत्र श्री विरजी बुनकर जाति बलाई निवासी 98, वार्ड नं. 04 बुनकर मोहल्ला, बडी पडाल, तहसील घाटोल, जिला बॉसवाडा (राज.) (ऋणी / बंधक कर्ता)
2. श्रीमती लक्ष्मी देवी बुनकर पत्नी श्री देवीलाल बुनकर जाति बलाई निवासी 98, वार्ड नं. 04 बुनकर मोहल्ला, बडी पडाल, तहसील घाटोल, जिला बॉसवाडा (राज.) (सह ऋणी)
3. श्री अविनाश बुनकर पुत्र श्री देवीलाल बुनकर जाति बलाई निवासी वार्ड नं.4, बुनकर मोहल्ला, बडी पडाल, तहसील घाटोल, जिला बॉसवाडा (राज.) (सह ऋणी)
4. श्री जगन्नाथ मईडा पुत्र श्री हमीरा मईडा निवासी 854, वार्ड सं.05, पृथ्वीपुरा देवडा, तहसील घाटोल, जिला बॉसवाडा (राज.) (जमानती)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– **30.03.2022**

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1– श्री देवीलाल बुनकर पुत्र श्री विरजी बुनकर जाति बलाई निवासी 98, वार्ड नं. 04 बुनकर मोहल्ला, बडी पडाल, तहसील घाटोल, जिला बॉसवाडा (राज.) (ऋणी / बंधक कर्ता) 2– श्रीमती लक्ष्मी देवी बुनकर पत्नी श्री देवीलाल बुनकर जाति बलाई निवासी 98, वार्ड नं. 04 बुनकर मोहल्ला, बडी पडाल, तहसील घाटोल, जिला बॉसवाडा (राज.) (सह ऋणी) 3– श्री अविनाश बुनकर पुत्र श्री देवीलाल बुनकर जाति बलाई निवासी वार्ड नं.4, बुनकर मोहल्ला, बडी पडाल, तहसील घाटोल, जिला बॉसवाडा (राज.) (सह ऋणी) 4 – श्री जगन्नाथ मईडा पुत्र श्री हमीरा मईडा निवासी 854, वार्ड सं.05, पृथ्वीपुरा देवडा, तहसील घाटोल, जिला बॉसवाडा (राज.) (जमानती) को दिनांक 31.01.2018 को राशि रुपये 6,00,000 ([illegible]) लाख रुपये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:56:32 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 21.10.2019 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 23–06–2020 तक कुल बकाया ऋण राशि 6,54,700 रू. (छः लाख चोपन हजार सात सौ रूपये मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्योरीटी के रुप में अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण श्री देवीलाल बुनकर पुत्र श्री विरजी बुनकर जाति बलाई की सम्पत्ति जो सर्वे संख्या 1626/6, ग्राम बडी पडाल, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग 1800 वर्ग फीट है, जिसके पूर्व में श्री गौतम/श्री वीरजी बलाई, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में हीरालाल/जोधराम, दक्षिण में आम रास्ता है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015 के अनुसार प्रार्थी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप–खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 25–06–2020 को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 21.10.2021 को जारी किये गए। दिनांक 15.12.2021 को अप्रार्थी सं. 3 उपस्थित हुए जिसके पश्चात् अप्रार्थी सं. 3 अनुपस्थित रहे। दिनांक 04.01.2022 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नोटिस बाद तामिल प्रस्तुत हुए किन्तु बावजुद नोटिस तामील अनुपस्थित रहे है। दिनांक [illegible] को अप्रार्थी सं. 4 का नोटिस चस्पा होकर बाद तामिल प्रस्तुत हुआ, किन्तु अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। अतः दिनांक [illegible] को अप्रार्थीगण सं. 3 का जवाब बंद किया गया एवं अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:56:32 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार घाटोल को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:56:32 IST
Reason: SelfAttested